राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक–प. 5(31) साप्र/3/82 जयपुर, दिनांक 8/6/2015

—:आज्ञा:—

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.01.13 व 21.03.2013 के अधिक्रमण में अभियोजन विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उनके पद की कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मोबाईल फोन बिलों के पुनर्भरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका/ शर्तों के अधीन वर्तमान में देय दरों में अभिवृद्धि करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान दरें प्रतिमाह	संशोधित दरें प्रतिमाह
1	सहायक लोक अभियोजक प्रथम व द्वितीय	200/–	500/–
2	उप निदेशक व सहायक निदेशक	200/–	500/–

शर्ते :–

1. पुनर्भरण हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को स्वयं के नाम से मोबाईल का पोस्टपेड कनेक्शन लेना होगा। राज्य सरकार द्वारा मोबाईल हैण्डसैट व सिम उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।
2. निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक राशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
3. सभी अधिकारी/कर्मचारी बिल का भुगतान एवं सत्यापन कर मूल बिल मय रसीद पुनर्भरण हेतु पदस्थापन वाले कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
4. प्रतीक्षा काल व निलम्बन काल में उक्त सुविधा देय नहीं होगी।
5. स्थानान्तरण पर नियमानुसार देय कार्यग्रहण काल से अधिक अवधि हेतु उक्त सुविधा देय नहीं होगी।

यह आज्ञा वित्त (व्यय–4) विभाग की आईडी सं. 101500997 दिनांक 15.03.15 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1- निदेशक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
2- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4)विभाग।
3- संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग।
4- रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,
Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928
Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com